न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 26/2019 (209/2012)
GCMS NO. : 2012/00014

–:: प्रार्थीगण ::–

1. रामलाल पुत्र बालुराम जाति सैन (नाई) निवासी खिनावडी तहसील जैतारण जिला पाली।
2. मांगीलाल पुत्र बालुराम जाति सैन (नाई) निवासी टूंकडा तहसील जैतारण जिला पाली।
3. लादुराम पुत्र बालुराम जाति सैन (नाई) निवासी खिनावडी तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र बक्सीराम उर्फ बंशीलाल
2. श्रीप्रकाश पुत्र बक्सीराम उर्फ बंशीलाल
3. गुलाबीदेवी बेवा बक्सीराम उर्फ बंशीलाल
   जाति सैन (नाई) निवासी खिनावडी तहसील जैतारण जिला पाली।
4. श्यामसुन्दर पंचारिया पुत्र राधाकिशन पंचारिया जाति ब्राह्मण, निवासी शास्त्री नगर नीमच (मध्यप्रदेश)
5. सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहण, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 18/11/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टूंकड़ा में वाके आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके है जिसमें सायल संख्या 1 रामलाल का 1/4 हिस्सा, सायल संख्या 2 मांगीलाल का 1/4 हिस्सा व सायल संख्या 3 लादुराम का 1/4 हिस्सा बतौर काबिज खातेदार काश्तकार है व 1/4 हिस्से में स्व . बक्सीराम उर्फ बंशीराम पुत्र श्री बालुराम का बतौर खातेदार काश्तकार का है जो 2003 में फौत हो गये के उतराधिकारीगण वारिसान के रूप में गैरसायलान के रूप में 1/4 हिस्से खातेदार काश्तकार का है उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 की जमाबंदी ... की संवत् 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ ... भाग माना जावे। सायलान एवं गैरसायलान की वंशवृक्ष ... वंशवृक्ष के अनुसार सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

व गैरसायलान स्व. श्री बालुराम जी जायन्दा पुत्र व जायन्दा पुत्र स्व. बक्सीराम उर्फ बंसीराम के पुत्र–पुत्रियां व पत्नी व सभी संयुक्त हिन्दू मुस्तरका खानदान के सदस्य है। सायलान के पिता व गैरसायलान के दादा व ससुर स्व. बालुराम पुत्र गणेशजी, जाति सैन (नाई), निवासी टुकड़ा के मूल निवासी है व वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 246 स्व. बालुराम के बापी का कब्जासुदा पुश्तैनी व पीढीयों का खेत था व स्व. बालुराम जी की शादी गांव खिनावड़ी पतासीबाई पुत्री श्री रूघनाथ जी जाति सैन (नाई) निवासी खिनावड़ी के साथ आज से करीब 80 वर्ष पूर्व हुई व स्व. पतासीबाई के तीनो सायलान व स्व. बालुराम जी के जायन्दा पुत्र हुऐ व पुत्री पुकलीबाई है व गैरसायलान संख्या 1 व 2 पौत्र व गैरसायलान संख्या 3 पुत्रवधु, गैरसायलान संख्या 4 व 6 पौत्रियां, गैरसायलान संख्या 7 पुत्री है । स्व. बालुराम जी की शादी आज से 80 वर्ष पूर्व ग्राम खिनावड़ी में पतासीबाई के साथ हुई जिनके चार जायन्दा लड़के सायलान संख्या 1 से 3 व स्व . बक्सीराम उर्फ बंशीराम जो फौत हो चुके उनके जायन्दा दो लड़के एक पत्नी व तीन पुत्रियां जो गैरसायलान संख्या 1 से 6 है व गैरसायलान संख्या 7 जो जायन्दा पुत्री है, जो सभी उत्तराधिकारी है व स्व. बालुराम जी एवं पतासी के कोई जायन्दा दत्तक भाई नहीं होने से बतौर घर जंवाई के ग्राम खिनावड़ी घर जंवाई आ गये व ग्राम खिनावड़ी व टूंकड़ा दोनों गांवो के नाई का काम करते व टूंकड़ा व खिनावड़ी दोनों गांवों में निवास करते व आते जाते रहते व तीनो सायलान छोटे थे सबसे बड़ा भाई बक्सीराम जी आज से करीब 60 वर्ष पूर्व स्व. बालुराम जी का देहान्त हो गया तब बक्सीराम तीन सायलान व चार भाई व बहन पुकलीबाई व माता पतासीबाई सभी संयुक्त परिवार के रूप से साथ रहते थे खेत मकान आदि जिसमें वादग्रस्त खेत भी सामिल था व सभी सामिल ही काश्त करते थे, व संयुक्त परिवार के बालुराम के मृत्यु के पश्चात परिवार का मुख्यकर्ता खानदान बक्सीराम जी ही थे व दूंकड़ा गांव में 1952 जागीर अधिकरण पर सेटलमेन्ट हुआ वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान के कर्ता खानदान के परिवार के मुख्या होने के नाते वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा का डोलिया वाला खेत सरहद मौजा टूंकड़ा पर्चा लगान स्व. बक्सीराम उर्फ बंशीराम पुत्र बालुराम कौम नाई निवासी टूंकड़ा के नाम दिनांक 17.12.1954 को पर्चा लगान जारी किया गया पर्चा लगान की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे उक्त भूमि का खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 स्व. बक्सीराम के परिवार के मुख्य के नाते सायलान के सगे बड़े भाई होने व कर्ता खानदान की हैसियत से खतौनी बन्दोबस्त में बक्सीराम का नाम दर्ज किया गया व खतौनी बन्दोबस्त की खसरा नम्बर 246 की संवत् 2011 से 2030 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है व पर्चा लगान मिसल बन्दोबस्त के संवत् 2016 से 2019 की खसरा नम्बर 246 की साबिका खतौनी स्व. बक्सीराम बतौर कर्ता खानदान व दर्ज किया जिसकी प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश परिवार के मुख्य है जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

246 स्व. बालुराम जी की बापी की कृषि भूमि थी व बालुराम जी के जीवनकाल में कब्जा व काश्त बालुराम का था बालुराम जी की मृत्यु के पश्चात सायलान व स्व. बक्सीराम जी के चारो सामलाती कब्जा काश्त का था जो आज दिन तक चला आ रहा है उक्त भूमि में प्रत्येक सायल का 1/4 हिस्सा व स्व. बक्सीराम उनकी मृत्यु पश्चात गैरसायलान संख्या 1 से 6 का 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के है इसी हिस्सानुसार पिछले 60 वर्षो से सायलान व गैरसायलान बक्सीराम जी के उतराधिकारी कब्जा व काश्त करते आ रहे है। सायल संख्या 2 मांगीलाल दूंकड़ा निवास करता है पिछले 60 वर्षो से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 पर लगातार काबिज है काश्त करता आ रहा है व वर्तमान में सायल संख्या दो की मूंग की फसल खड़ी है व कब्जा काश्त है स्व. बक्सीराम अपने जीवनकाल में राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग कम्पाउण्डर के पद पर 1957 में कर्मावास ठाकुर साहब पदमसिंह जी के जागीदर के ठीकाने में कामदार व कर्मचारी होने के आधार पर राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग कमाउण्डर के पद पर नियुक्त हुए करीब 40 साल पीसांगन जिला अजमेर में नियुक्त रहे व वहां के स्थाई निवासी हो गये मकान भी बना लिया 40 साल वहां राजकीय सेवा में रहने के बाद पीसांगन सेवा निवृत हुए व पीसांगन में 2003 में स्व. बक्सीराम जी का देहान्त हो गया व जब तक बक्सीरामजी जीवीत थे सायलान को कहते रहे कि चारो भाईयो का वादग्रस्त जमीन सामलाती है व सायलान का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा कुल 3/4 हिस्सा सायलान का दर्ज करा देगे व रेकर्ड में दुरुस्त करा देगे सगे भाई होने से परिवार के मुख्य होने से सायलान विश्वास करते रहे कि बड़े भाई हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम दर्ज करा देगे मगर उनका हार्ट अटेक से देहान्त होने के पश्चात जरिये म्यूटेशन संख्या 544 दिनांक 16.01.2004 को बक्सीराम उर्फ बंशीराम पुत्र बालुराम के नाम फौतेदगी म्यूटेशन मौजा दूंकड़ा में गैरसायल संख्या 1 ओमप्रकाश गैरसायल संख्या 2 श्रीप्रकाश गैरसायल संख्या 3 गुलाबी बेवा बक्सीराम के नाम म्यूटेशन भरा गया उक्त म्यूटेशन 544 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावे। स्वं. बक्सीराम जी के पुत्र ओमप्रकाश, श्रीप्रकाश व गुलाबीदेवी को सायलान ने कहा कि तुम्हारे वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है व हम सायलान का 3/4 हिस्सा है आप रेकर्ड दुरुस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि 3/4 हिस्से में हमारा नाम दर्ज कराओ जिस पर गैरसायल संख्या 1 से 3 ने यह कहा कि हम सायलान के हिस्से की जमीन सायलान के नाम दर्ज करवा देगे मगर आज दिन तक सायलान के नाम उनके हिस्से की जमीन दर्ज नही कराई व वर्तमान में ग्राम दूंकड़ा के पास बिरला कम्पनी अल्ट्राटेक सीमेन्ट का प्लान्ट लगने की संभावना है जिससे भूमि दलाल कम्पनी के प्रतिनिधि जमीन के डेढ दो लाख प्रति बीघा से खरीद की जा रही है वादग्रस्त जमीन कीमती हो जाने से 20-25 ला[illegible] कीमत की है। गैरसायल संख्या 1 से 3 की नियत में फर्[illegible]ख्या 1 जो मौजूदा में पाली पशुपालन विभाग में वेटेनरी [illegible] कार्यरत होने एवं सायलान सगे

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

चाचे की उनके हिस्से 3/4 हिस्से रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायल संख्या 1 ओमप्रकाश, गुलाबी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल सरहद मौजा टूकड़ा के 2/3 हिस्से का स्वयं रेकर्डडेड काबिज खातेदार काश्तकार होना बताकर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायल को 2/3 हिस्सा भूमि का बेऐवजान 7,18,610/- रूपयें के प्रतिफल राशि के ऐवज में जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 24.08.2012 को बिना किसी आधार व अधिकार लिखित पंजीबद्ध बैचान को तहरीर व तकमिल करवाकर उप पंजीयन जैतारण के दिनांक 24.08.2012 को पंजीयन करवा दिया जिसका दिनांक 13.09.2012 को मालूम पड़ने पर सायलान उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान 24.08.2012 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जो वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे व गैरसायल संख्या 1 से 3 का वाद ग्रस्त कृषि भूमि 3/4 हिस्से खातेदारी अधिकार कब्जा ही नही बल्कि गैरसायल संख्या 1 का वाद ग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा का 1/6 हिस्सा कुल भूमि 1/24 वां हिस्सा व गैरसायल संख्या 3 गुलाबी का 1/4 हिस्सा का 1/6 हिस्सा कुल का 1/24 हिस्सा होता है केवल इन्द्राज के आधार पर गैरसायल श्यामसुन्दर पंचारिया के पक्ष में तकमिल पंजीबद्ध लिखित बैचान अवैध व गैरकानूनी है सायल के हितों के विरुद्ध बेअसर है व प्रभाव शून्य व गैरसायल संख्या 1 व 3 तीन का 3/4 हिस्सा है ही नही गैरसायल संख्या 8 (प्रार्थना पत्र में गैरसायल संख्या 4) को 3/4 हिस्से का अधिकार प्राप्त का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि 3/4 हिस्से यानि सायल का 1/4 हिस्सा का सायल खातेदार काश्तकार है व इसी रूप में अपना नाम जमांबदी खतौनी में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने व हिस्सानुसार यानि सायलान के 3/4 हिस्से के काबिज खातेदार है ऐसी घोषणा करवाने के सायलान अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा सायलान खिलाफ गैरसायलान के पेश है। स्वं. बालुराम जी का देहान्त आज से 60 वर्ष पूर्व यानि, हिन्दू उताराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव से पूर्व हो गया था इसलिए वादग्रस्त भूमि केवल बालुजी के जायन्दा पुत्र के हिस्से बतौर उताराधिकारी के होना व गैरसायलान संख्या 7 पुकलीबाई का हिस्सा नही हुआ न है व पुकलीबाई बालुजी की जायन्दा पुत्री होने से आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पार्टी बनाई गई उनके विरुद्ध कोई अनुज्ञा नही चाही गई है। वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. बक्सीराम जी के नाम वकक्त सेटलमेन्ट कर्ता खानदान परिवार के मुख्य के नाम दर्ज हुआ जिसमें सायलान व स्व. बक्सीराम जी चारो सगे भाई है प्रत्येक सायलान 1/4 हिस्सा है व काबिज है खातेदारी काश्तकार सम्पूर्ण भूमि बक्सीराम जी गैरसायलान संख्या 1 से 3 के नाम रोन्गा एन्ट्री के दर्ज है जिसे दुरुस्त करवाने प्रत्येक सायलान जरिये दुरूस्ती वादग्रस्त जमीन है 1/4 हिस्से प्रत्येक सायल का नाम दर्ज करवाने व गैरसायल संख्या 1 से 6 [illegible]/4 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। दुरूस्ती रेकर्ड गैरसायलान [illegible] गैरसायल संख्या 1 से 3 द्वारा गैरसायल संख्या 8 (प्रार्थना पत्र में गैरसायल संख्या 4) के पक्ष में 1/3 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

का गलत बैचान किया गैरसायल संख्या 2 के 1/3 हिस्सा गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायल संख्या 2 के 1/3 हिस्से की भूमि का गैरसायल बैचान करने पर आमादा है व उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान सायलान की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है व गैरसायल ऐसा किया ज सायल ऐसा हरगिज नहीं करने देगा जिससे टण्डा फसाद होगा व सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध बार बार दीवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे जिससे मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव नही है इसलिए सायल गैरसायल के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। गैरसायलान संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण के नाम गलत इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायलान संख्या 1 से 6 का 1/4 हिस्सा होते हुए भी गैरसायल संख्या 1 व 3 द्वारा अपना 2 / 3 हिस्सा होना गलत कथन गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 24.08.2012 को वादग्रस्त कृषि भूमि 2/3 हिस्से का बैचान कर दिया खरीददार आगे बैचान करने पर आमादा है व गैरसायल संख्या 2 का 1/4 हिस्से का 1/6 हिस्सा व गलत रेकर्ड में 1/3 गलत इन्द्राज के आधार पर आगे अन्य को बैचान करने पर आमादा है जिन्हे रुकवाने का सायलान अधिकारी है व गैरसायल संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बैचान व उपपंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां पंजीयन कराने को आमाद इसलिए उप पंजीयन अधिकारी जैतारण को इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जो गैरसायल संख्या 9 (प्रार्थना-पत्र में गैरसायल संख्या 5) बनाया गया है व मामला आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उपपंजीयन अधिकारी जैतारण को धारा 80 (2) सी.पी.सी. में गैरसायल संख्या 9 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की इजाजत का प्रार्थना मय शपथ पत्र वाद के साथ पेश बाद इजाजत गैरसायल संख्या 9 के विरूद्ध वाद पेश है। सायलान मौके पर कब्जा काश्त दस्तावेजात शपथ पत्र के आधार पर (स्ट्रोग प्रेमाफेसी) प्रथम दृष्टिया मामला बेखुबी से साबित है । यदि गैरसायलान गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि से सायलान को बेदखल की व गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि किसी अन्य को बैचान रहन बख्शीश मुतकील खुर्द बुर्द की गई वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है ऐसा होने पर सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध विविध मुकदमे बाजी करनी पड़ेगी जिससे मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसिडिग होगी इसलिए सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अधिकारी है इसलिए सायलान का गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा टूंकड़ा खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किश्मा अव्वल में 3/4 हिस्से में सायलान [illegible] इस भूमि में गैरसायलान को किसी प्रकार से दखलन्दाजी [illegible] 3/4 हिस्से की भूमि सायलान खातेदारी काश्तकार है गलत [illegible] किसी अन्य को बैचान करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से गेरसायलान को वाद के निर्णय तक रोका जा व गैरसायलान संख्या 8 के पक्ष में लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 24.08.2012 को वाद ग्रस्त भूमि 2/3 हिस्से की भूमि गैरसायल संख्या 1 व 3 द्वारा गैरसायलान संख्या 4 को पंजीबद्ध बैचान किया उसके आधार पर गैरसायलान संख्या 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे, बैचान खुर्द बुर्द रहन बख्शीश मौके की रदो बदल करने से वाद के निर्णय तक रोका जावे, गैरसायलान संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक रोका जावे, ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक सायलान खिलाफ गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 2,3 व 5 बावजूद सम्मन तामिली/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 को अवसर देने के बावजूद जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जवाब प्रा.पत्र का अवसर बन्द किया गया। गैरसायलान संख्या 4 श्यामसुन्दर पंचारिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक, दो व तीन का जवाब है कि पद संख्या एक मे बतायी कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 14-11 बीघा ग्राम टूंकडा में स्थित है। जो सही है। शेष फिकरे में अंकित तथ्य गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। क्योकि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर वादीगण का पुश्तैनी पीढियो से खेत पर कब्जा काश्त होना व हिस्सा होने के कथन मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से झूठे व गलत अंकित किये है। सायलान का कभी भी उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त व हिस्सा न तो था न ही वर्तमान में है। उक्त भूमि सैटलमेन्ट से ही गैरसायल संख्या एक से छह के पिता बक्सीराम उर्फ बंशीलाल के नाम की थी तथा स्वअर्जित सम्पति थी। पद संख्या दो में वर्णित वंशावली जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। सायलान स्वयं दस्तावेज से साबित करे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार व पांच में दर्ज कथन का जबाब है कि इस पद में किये गये कथन गलत, झूठे मनमाने व प्रार्थनापत्र करने की गरज से अंकित है। उक्त भूमि बंशीलाल की स्वअर्जित सम्पति थी जो उक्त भूमि को एक मात्र स्वामित्व व खातेदारी की इन्द्राज थी। उक्त भूमि सामलाती होने के कथन गलत है। उक्त भूमि बंशीलाल की सैटलमेन्ट से चली आ रही है। पर्चा लगान, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 में बंशीलाल के नाम की दर्ज थी। तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या एक छह के नाम फौतेदगी म्युटेशन भरा गया जो सही व विधिसम्मत् है उक्त भूमि पर सामलाती काश्त होना संयुक्त परिवार की होना, वादीगण का कब्जा काश्त होना हिस्सा होना आदि के कथन [illegible] व झूठे व मानमाने अंकित किये है। उक्त भूमि पर सैटलमेन्ट से लेकर [illegible] गैरसायल संख्या एक से छह के पिता का ही कब्जा काश्त था उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का है अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

कथनो की रीलीवेन्सी नही होने से उत्तरदाता गैरसायलान को जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। बालुराम गांव ढूंकडा मे कभी नहीं रहे। खसरा नम्बर 246 रकबा 14—11 बीघा भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त बक्सीराम का होने से सैटलमेन्ट अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने उनका नाम सैटलमेन्ट के पर्चा लगान में दर्ज किया, जो सही है। उक्त भूमि बापी की भूमि नहीं थी न ही बालुराम का कब्जा काश्त रहा व न ही सायलान का 3/4 हिस्से में 80 वर्षो से कब्जा काश्त होने के कथन मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से गलत अंकित किये है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या छह में दर्ज कथन का जबाब है कि इस पद में सायल संख्या दो का साठ वर्षो से कब्जा काश्त होना वर्तमान में मूंग की फसल खड़ी होने के कथन गलत व झूठे अंकित किये है। शेष फिकरा गलत होने से अस्वीकार है तथा गैरसायल के पिता के फ़ौत होने पर भरा गया म्युटेशन संख्या 544 दिनांक 16/01/2004 का सही व विधिवत् है तथा चारों भाईयों का हिस्सा होना व रेकर्ड मे दुरुस्ती करवाने के कथन गलत व झुठे है। सैटलमेन्ट व पर्चा लगान में बंशीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है जो सही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात में दर्ज कथनो का जबाब है कि सायलान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व हिस्सा नहीं है न कभी था। खसरा नम्बर 246 रकबा 14—11 बीघा कृषि भूमि में गैरसायल संख्या एक से छह के पिता की स्वअर्जित आराजी थी। जिस पर वक्त सैटलमेन्ट उनका ही कब्जा काश्त होने से तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी ने उनका नाम खतौनी बन्दोबस्त में इन्द्राज किया, जो सही है। पर्चा लगान भी उन्हीं के नाम जारी किया गया तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिसान गैरसायल संख्या एक से छह का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जो सही है। गैरसायल संख्या आठ सद्भाविक क्रेता है जिसने गैरसायल संख्या एक से छह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 24/08/2012 को उक्त भूमि का 2/3 हिस्सा की प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि सात लाख अठारह हजार छह सौ दस रुपये अदा कर व मौके पर भौतिक रूप से विक्रेता से कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार गैरसायल संख्या आठ के पक्ष में विक्रेता ने जो विक्रय विलेख निष्पादित किया, जो सही व विधिसम्मत् होने से अवैध गैरकानूनी व प्रभावशून्य नही है तथा न ही सायलान के हितो के विरुद्ध है। गैरसायल संख्या आठ के विक्रय विलेख के उक्त भूमि की खरीद कर अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा लिया, जो रेवेन्यू एजन्सी ने जांच कर म्युटेशन भरा गया जो सही है। वर्तमान मे गैरसायल संख्या आठ उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है व कब्जा काश्त है तथा कब्जा काश्त चला आ रहा है। क्रय करने के बाद क्रेता ने उक्त भूमि जो पूर्व मे उबड़ खाबड व पत्थरीली थी। जिसे समतल व उपजाऊ की, जिस पर लाखो रुपये खर्च किये। शेष पद गलत होने से अस्वीकार है। तथा खरीद की गई कृषि भूमि मे खातेदार श्यामसुन्दर के नाम दर्ज होने के बाद अब उक्त भूमि [illegible] [illegible] वाली सीमेन्ट वर्क्स तहसील—जैतारण इसलिए सायलान उतरदाता [illegible] घोषणा का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या आठ में वर्णित कथनो का जबाब है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट ट्रैक) जैतारण

कि गैरसायल संख्या सात, सायलान व गैरसायलसंख्या एक से छह के पिता की बहन होने के कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या नो व दस में वर्णित कथनो का जबाब है कि उक्त भूमि में चारो भाईयो सायलान व गैरसायल संख्या एक से छह के पिता का हिस्सा होने के कथन गलत व झूठे है सैटलमेंन्ट मे दर्ज बंशीलाल की राजस्व रेकर्ड में जो एन्ट्री हुई जो सही है। शेष पद में वर्णित कथन सायलान को बेदखल करने पर आमादा होने, टन्टा फसाद करने आदि के कथन गलत ब झूठे अंकित किये है। सायलान उक्त कृषि भूमि के न तो खातेदार काश्तकार है, न ही उनका कब्जा काश्त है तो फिर सायलान को उतरदाता गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या ग्यारह मे दर्ज कथन पूर्णतया गलत व झूठे है। उक्त भूमि का उत्तरदाता गैरसायल खातेदार काश्तकार है तथा उनका नाम रेवेन्यु एजेन्सी ने विक्रय विलेख व कब्जा काश्त के आधार पर सही इन्द्राज किया है। उक्त भूमि मे सायलान का हिस्सा होना हक होने के कथन गलत व झूठे है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के खातेदारो द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे से अपना 2/3 हिस्से की भूमि का बैचान किया, जो सही है। सायलान उक्त भूमि के न तो खातेदार काश्तकार व न ही कब्जा काश्त है। इसलिए सायलान् गैरसायलान् के विरुद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। गैरसायल संख्या 4 ने अपनी कृषि भूमि अल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी बेचान कर दी व क्रेता अल्ट्राटेक सीमेन्ट कम्पनी के नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 1036 दिनांक 27/06/2013 को बतौर खातेदार जमाबंदी में नाम दर्ज हो गया। प्रार्थनापत्र के पद संख्या बारह का जबाब है कि जबाब प्रार्थनापत्र में दर्ज कथनो एवं उतरदाता गैरसायल के शपथपत्र व दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान् की बजाय उतरदाता गैरसायल के पक्ष में बखूबी साबित है। सायलान् का मौके पर किसी प्रकार से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त ही नहीं है। तो उसे बेदखल करने का प्रशन ही पैदा नही होता है जबकि मौके पर उतरदाता गैरसायलान् का उक्त खरीद की गई भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग खरीद के समय से लेकर आज दिन तक बिना किसी रोकटोंक के चला आ रहा है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायलान् की अपेक्षा उतरदाता गैरसायल के पक्ष मे प्रमाणित है तथा इस प्रकार से गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थनापत्र के आधार पर सायलान् के पक्ष में किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सायलान् की अपेक्षा उतरदाता गैरसायल को अपूर्णिय क्षति होगी व उतरदाता गैरसायल अपने जायज हक व अधिकारों एवं साम्पैतिक खातेदारी काश्तकारी अधिकारों से महरूम हो जायेगा जिससे अपूर्णिय क्षति भी सायलान् की बजाय गैरसायल को होना सुनिश्चित है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो ही घटक सायलान् की बजाय उत्तरदाता गैरसायल के पक्ष मे बखुबी साबित [illegible] प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा [illegible] अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र किसी भी दृष्टिकोण से पोषणिय नही होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

- **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम टूंकडा खसरा नम्बर 246 की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में अंकित नोट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान दौराने वाद–विचारण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है जिसकी नामान्तकरण संख्या 1036 दिनांक 27/06/2013 है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। चुंकि वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजी का बेचान हुआ है जिससे आगे भी बेचान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
- **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का पूर्व में अन्य व्यक्ति को बेचान किया जा चुका है एवं आगे भी प्रार्थीगण द्वारा वर्णित विवादित खसरा नम्बर 246 की भूमि के हस्तांतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रकरण में वाद–बहुल्याता बढ़ेगी व अनावश्यक जटिलता होगी जिससे निश्चित ही प्रार्थीगण को प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब, अधिक असुविधा एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि हम मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकर्ड की स्थिति को संरक्षित रखना आवश्यक समझते है। अतः गैरसायलान को वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड/वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नही करने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा टूंकड़ा में वाके आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का रहन, बेचान व हस्तान्तरण एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड/वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नही करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 18/11/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण, जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:06 IST
Reason: SelfAttested